डीजी परिपत्र संख्या:42/ 2026

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

विषय:- ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से SID में अपलोड किये जाने वाले डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, परीक्षण, अपलोडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

राज्य में अपराध विवेचना की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक, विश्वसनीय एवं विधिसम्मत संकलन तथा न्यायालयों में उनकी विधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से **ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप** का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्यालय स्तर पर **ई-साक्ष्य मॉनीटरिंग डैशबोर्ड** के माध्यम से SID Creation की प्रगति, डिजिटल साक्ष्यों की गुणवत्ता तथा उनके संकलन एवं अपलोडिंग की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ है कि केवल अधिकाधिक संख्या (Quantity) में डिजिटल साक्ष्य अपलोड करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य की गुणवत्ता (Quality), प्रासंगिकता (Relevancy), स्पष्टता (Clarity), प्रामाणिकता (Authenticity), विधिक स्वीकार्यता (Legal Admissibility) एवं प्रक्रियात्मक शुद्धता (Procedural Compliance) सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रत्येक SID में अपलोड किया जाने वाला डिजिटल साक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जो विवेचना से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने वाला, न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरने वाला तथा अभियोजन को प्रभावी रूप से सुदृढ़ करने में सहायक हो। इसके लिए आवश्यक है कि डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, परीक्षण, अभिलेखीकरण, अपलोडिंग एवं पर्यवेक्षण की प्रक्रिया राज्यभर में एकरूप (Standardized), गुणवत्तापूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से संपादित की जाए।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यालय स्तर पर विधिक एवं तकनीकी समिति गठित की गई, समिति द्वारा ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से SID में अपलोड किए जा रहे डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत विधिक एवं तकनीकी परीक्षण किया गया। समिति द्वारा ई-साक्ष्य मॉनीटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न जनपदों में अपलोड की गई SIDs का विश्लेषण करते हुए डिजिटल साक्ष्यों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन तथा विधिक स्वीकार्यता का परीक्षण किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों (Best Practices) का अध्ययन कर आवश्यक संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई है।

समिति की संस्तुतियों के परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, परीक्षण, अभिलेखीकरण, अपलोडिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्यभर में एक समान (Standardized), विधिसम्मत एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली अपनाया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से डिजिटल साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

गठित समिति द्वारा विवेचकों द्वारा ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड कर SID में अपलोड किए गए डिजिटल साक्ष्यों के परीक्षण एवं विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुई है -

i. अपलोड किए गए कुछ वीडियो साक्ष्यों में केवल किसी निर्जन अथवा सुनसान स्थान का दृश्य रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे वीडियो में न तो कोई कथन (Narration) अथवा ध्वनि (Audio) उपलब्ध है और न ही यह उल्लेख किया गया है कि रिकॉर्डिंग किस विवेचनात्मक कार्यवाही अथवा उद्देश्य से की गई है। परिणामस्वरूप ऐसे वीडियो की **प्रासंगिकता एवं साक्ष्यमूल्य** प्रभावित होते हैं।

ii. घटनास्थल के कुछ वीडियो सड़क के किनारे से पर्याप्त दूरी पर रिकॉर्ड किए गए हैं। यद्यपि इनमें पीड़ित अथवा गवाह घटना के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, तथापि अधिक दूरी एवं मोटर वाहनों के शोर के कारण उनके कथन स्पष्ट रूप से श्रव्य नहीं हो पाते, जिससे साक्ष्य की **उपयोगिता एवं प्रभावशीलता** प्रभावित होती है।

iii. अनेक वीडियो साक्ष्यों में केवल सड़क के किनारे अथवा किसी भवन/आवास में उपस्थित व्यक्तियों का दृश्य रिकॉर्ड किया गया है, किन्तु उनका परिचय, पहचान अथवा घटना से संबंध स्पष्ट नहीं किया गया है। फलस्वरूप ऐसे वीडियो की **विवेचनात्मक उपयोगिता एवं प्रासंगिकता** स्थापित नहीं हो पाती।

iv. जब्ती/बरामदगी की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग रात्रि के समय की गई हैं। यद्यपि अभियुक्त का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है, किन्तु जब्त की गई वस्तु अथवा अन्य भौतिक साक्ष्य को पर्याप्त निकटता से रिकॉर्ड न किए जाने के कारण उसका स्वरूप, पहचान एवं विवरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता।

v. कुछ वीडियो साक्ष्यों में रिकॉर्डिंग के दौरान पृष्ठभूमि (Background) में डाँट-फटकार, अनावश्यक वार्तालाप अथवा अन्य अवांछित ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड हो गई हैं, जिससे साक्ष्य की **गुणवत्ता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता** प्रभावित होने की संभावना रहती है।

vi. आर्म्स एक्ट के कुछ अभियोगों में FIR में अंकित घटना का संक्षिप्त विवरण, जब्ती/बरामदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा व्यक्त कथनों से सामंजस्य नहीं रखता। ऐसी विसंगति अभियोजन की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकती है तथा साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है।

vii. अनेक प्रकरणों में केवल पुलिस पदाधिकारियों के कथन ही रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि घटना से संबंधित स्वतंत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के कथनों की फोटो / वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है। इससे घटना के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों की **पूर्णता एवं वस्तुनिष्ठता** प्रभावित होती है।

उपरोक्त कमियों के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए -

- ई-साक्ष्य को संकलित करते समय वीडियो रिकार्डिंग के प्रारम्भ में संदर्भ स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है। जैसे- मैं विवेचक निरीक्षक <नाम>, आज दिनांक <दिनांक> को समय <समय> बजे थाना <थाने का नाम>, मु०अ०सं० <FIR No> धारा <धारा> BNS के सम्बन्ध में घटनास्थल पहचान/निरीक्षण हेतु उपस्थित हूँ और घटना स्थल पर उपस्थित वादी <नाम> व घटना स्थल पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षियों का बयान रिकार्ड कर रहा हूँ।
- साक्षी के बयान की शुरूआत में ही उसके मुख से ही उसकी पहचान और स्थान का चिन्हीकरण कर लिया जाए और पहचान के प्रमाण को कैमरे पर दिखा लिया जाये।
- Latitude एवं Longitude को specify करने वाले स्थान का नाम यथासंभव कैप्चर किया जाये।
- साक्षी की पहचान सुनिश्चित करने के लिये कैमरे पर ही पहचान के दस्तावेज भी रिकॉर्ड किये जाये।
- साक्षी का बयान लेते समय प्रयास यह हो कि एक ही फ्रेम में साक्षी के साथ स्थान की पहचान सुनिश्चित हो सके।
- वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो बनाते समय कैमरा को स्थिर रखते हुए वीडियो बनाये, जिससे स्पष्ट वीडियो बन सके।
- ई-साक्ष्य संकलन में बयान का दिनांक, समय एवं घटना स्थल भी वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

- ई-साक्ष्य रिकार्ड करते समय इस बात का ध्यान दे कि वीडियो शान्त स्थान पर तथा रिकार्डिंग के समय माइक्रोफोन को व्यक्ति के समीप रख कर बनायी जाए, जिससे व्यक्ति की स्पष्ट आवाज एवं वीडियो की रिकार्ड में एकरुपता हो।
- ई-साक्ष्य रिकार्ड करते समय घटना से सम्बन्धित विषयों पर प्रश्नोत्तरी के रूप में वीडियो रिकार्ड किया जाना चाहिए।
- ई-साक्ष्य संकलित करते समय जब्त की जाने वाली वस्तु / साक्ष्य को प्रकाश में लाकर क्लोजप एवं बरामद होने वाले व्यक्ति के साथ साथ रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा अभियुक्त द्वारा कहे गये बयान बरामद की जाने वाली वस्तु के विषय में हो।
- ई-साक्ष्य को संकलित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति (साक्षी के अलावा) बातचीत नहीं कर रहा हो, जिसकी आवाज रिकार्डिंग के समय रिकार्ड हो रही हो।
- ई-साक्ष्य का वीडियो रिकार्ड करते समय पीड़ित / गवाह / अभियुक्त के बोलने की स्वतंत्रता दे और जो व्यवहारिक रूप से बोल रहा हो उसी की रिकार्डिंग करें कोई अलग से इंडिकेट/दिशा निर्देश न दे।
- ई-साक्ष्य संकलित करने के लिए पुलिस कर्मियो को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करें तथा रिकार्डिंग के सम्बन्ध आने वाली अपडेट से परिचित कराये।
- सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा स्वयं विवेचको द्वारा अपलोड किये गये साक्ष्यों का परीक्षण कर उनकी गुणवत्ता एवं प्रासांगिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अतः समस्त इकाई/जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, परीक्षण, अभिलेखीकरण एवं SID पर अपलोडिंग निर्धारित विधिक प्रावधानों तथा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक क्षेत्राधिकारी **ई-साक्ष्य मॉनीटरिंग डैशबोर्ड** के माध्यम से अपने अधीनस्थ विवेचकों द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल साक्ष्यों का नियमित परीक्षण करें तथा पाई गई कमियों का समयबद्ध निराकरण कराते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें।

डिजिटल साक्ष्यों की गुणवत्ता में सतत सुधार लाना प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य न्यायालय में विधिक परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरने योग्य हो तथा प्रभावी अभियोजन एवं दोषसिद्धि में सहायक सिद्ध हो।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से SID में लिंक किए जाने वाले डिजिटल साक्ष्यों के प्रकार एवं प्रक्रिया संबंधी मानकीकृत दिशा-निर्देश

डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, अभिलेखीकरण एवं SID में अपलोडिंग निर्धारित विधिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। विवेचकों द्वारा ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की निम्नलिखित प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आवश्यकतानुसार वीडियो रिकॉर्डिंग एवं फोटोग्राफी की जाएगी –

- श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना –
  BNSS की धारा 105 या 185 - के अधीन किसी सम्पत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसे तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिग्रहित वस्तुओ की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन की वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर किये बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा।
- **BNSS की धारा 185 -** किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है, जिससे वह संलग्न है सीमाओं के अन्दर किसी स्थान पर पायी जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलम्ब किये बिना तलाशी से अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती, तलाशी लेते समय इस धारा के अधीन अधिमान्यतयः मोबाइल फोन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।
- **BNSS की धारा 497-** जब्त सम्पत्ति के सुरक्षित रख-रखाव एवं निस्तारण के प्रक्रिया के दौरान सम्बन्धित वस्तुओं की फोटोग्राफी एवं आवश्यकतानुसार वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी तथा उसका विवरण ई-साक्ष्य ऐप पर लोड किया जाएगा, जिससे सम्पत्ति की स्थिति एवं प्रबंधन का डिजिटल रिकार्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- **BNSS की धारा 176(3) -** किसी ऐसे अपराध के, जो सात वर्ष या अधिक के लिए दण्डनीय बनाया गया है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इत्तिला प्राप्त होने पर न्याय सम्बन्धित साक्ष्य संकलन करने के लिए न्याय सम्बन्धी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक युक्ति पर समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवायेगा।
- **BNSS की धारा 180 -** पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किया जा सकेगी। इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते समय मामले से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर की रिकार्डिंग प्रश्नोत्तरी के रूप में की जा सकेगी। अलग-अलग साक्षियों का वीडियों रिकार्डिंग संकलित करते समय नाम, पता की भी स्पष्ट रिकार्डिंग की जानी चाहिए। प्रत्येक साक्षी की पृथक-पृथक रिकार्डिंग की जानी चाहिए।
- **BNSS की धारा 182 -** कोई पुलिस अधिकारी साक्ष्य संकलित करते समय कोई उत्प्रेरणा व धमकी/चेतावनी रिकार्डिंग के समय न देगा और न दिलवाएगा।

- **BNSS की धारा 183 -** संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना- संस्वीकृति रिकार्डिंग करते समय अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित या रिकार्डिंग की जा सकेगी।
- **साक्ष्य अधिनियम की धारा 61, 62 तथा 63** के तहत तभी ग्राह्य होगा जब इलेक्ट्रानिक साक्ष्य या रिकार्डिंग करने वाले विवेचक द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- **BNSS की धारा 530 -** इलेक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाही का किया जाना - इस संहिता के अधीन निम्नलिखित कार्यवाहियों की रिकार्डिंग भी की जा सकेगी -
  - **a.** समन और वारंट को जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना।
  - **b.** शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा।
  - **c.** जांच और विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित करना।
  - **d.** सभी अपीलीय कार्यवाहियों या कोई अन्य कार्यवाही।

इसके अतिरिक्त समीक्षा के आधार निम्नांकित बिन्दुओं का भी निर्धारण किया गया है, जिससे ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के प्रयोग को और अधिक सकारात्मक बनाते हुये साक्ष्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है -

क्र.सं.	Do's (क्या करें)	Don'ts (क्या न करें)	
1.	विवेचक सुनिश्चित करें कि, उनकी वर्तमान नियुक्ति जिस थाने पर है, उसी थाने का ई-साक्ष्य रोल / आई0डी0 पर साक्ष्य की रिकार्डिंग की जा रही है	गलत थाने के ई-साक्ष्य रोल / आई0डी0 पर रिकार्डिंग न करें	-----
2.	ई-साक्ष्य ऐप में निर्धारित 06 प्रकार की धाराओं में से सही धारा का चयन करें व उसी के अनुरूप सम्बंधित साक्ष्य की रिकार्डिंग करें	किसी भी धारा में गलत साक्ष्य की रिकार्डिंग न करें	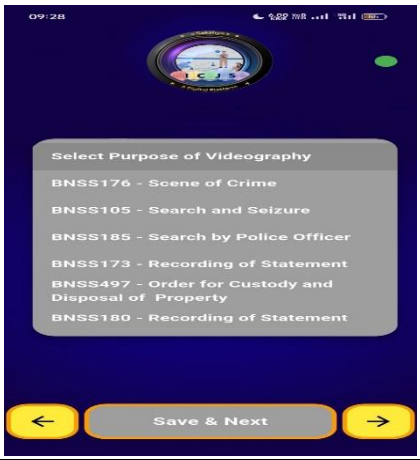
3.	मोबाइल की तारीख, समय एवं GPS की Accuracy सही रखें	गलत Date/Time सेटिंग, GPS के साथ रिकॉर्डिंग न करें	----

क्र.सं.	Do's (क्या करें)	Don'ts (क्या न करें)	
4.	रिकार्डिंग के दौरान संक्षिप्त विवरण में घटना से सम्बंधित पर्याप्त विवरण संक्षेप में भरें। जिससे सर्टिफिकेट में पर्याप्त विवरण मिल सके	सिर्फ घटनास्थल निरीक्षण, बयान वादी न लिखें	SID: 6840245663224427 Opening Date Time: 20/07/2025 19:10 Closing Date Tim Brief About Incidence: bayan vadi Indicative FIR No: 31895001250150
5.	पर्याप्त प्रकाश में स्पष्ट फोटो लें	अंधेरे में, ब्लर, हिलती हुयी फोटो / वीडियो न लें	
6.	घटना स्थल के आवश्यकतानुसार 01 से अधिक फोटो यथा- Wide, Mid और Close-up सभी एंगल से लें	केवल एक ही एंगल से फोटो लेकर कार्य पूरा न मानें	----
7.	रिकॉर्डिंग के दौरान गवाह/स्थान की पहचान स्पष्ट रखें	महत्वपूर्ण पहचान बिंदुओं को रिकॉर्ड करने से न छोड़ें	

क्र.सं.	Do's (क्या करें)	Don'ts (क्या न करें)	
8.	गवाह के विवरण में गवाह की फोटो अपलोड की जाये	गवाह के स्थान पर किसी वस्तु अथवा स्थान की फोटो अपलोड न की जाये	
9.	बयान रिकार्डिंग के दौरान आस-पास की बातचीत व बयान की स्पष्टता पर ध्यान देते हुये रिकार्डिंग की जाये	बयान में अनावश्यक बातचीत, शोर या टिप्पणी न करें	बयान रिकार्डिंग सैम्पिलिंग में कई वीडियो में शोर, आस-पास की अनावश्यक बातचीत की वीडियो परिलक्षित हुयी हैं
10.	प्रत्येक फोटो/वीडियो का सही टैग एवं विवरण भरें	गलत केस संख्या या गलत विवरण अपलोड न करें	Witness Details Witness Details: mo.mahbub s/o mojuddin File Name: 1756126498785.jpg Capture Date Time: 25/08/2025 18:25:08 Hash Value: 2d44a5246b528a0506a1cfe37d3cfaec 8898b8a820cf6f5d9a Latitude/ Longitude: 28.8366449 / 77.3420424
11.	घटना स्थल का पूरा परिवेश रिकॉर्ड करें	केवल मुख्य वस्तु की फोटो लेकर बाकी स्थल छोड़ न दें	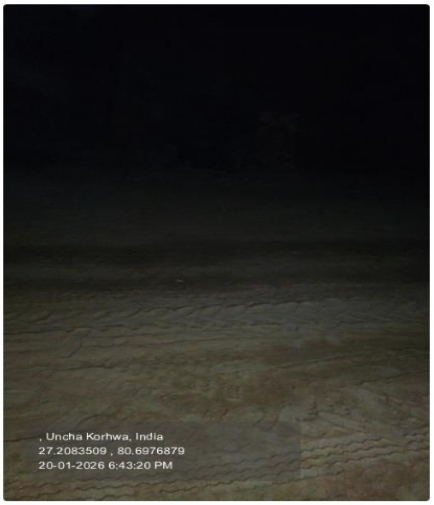

क्र.सं.	Do's (क्या करें)	Don'ts (क्या न करें)	
12.	रिकॉर्डिंग से पहले कैमरा लेंस साफ करें	गंदे लेंस से धुंधली रिकॉर्डिंग न करें	----
13.	आवश्यकता होने पर Scale/Measurement भी दिखाएं	बिना संदर्भ के आकार या दूरी का अनुमानित विवरण न दें	-----
14.	रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल स्थिर रखें	तेज़ी से कैमरा घुमाकर अस्पष्ट वीडियो न बनाएं	----
15.	घटनास्थल की रिकार्डिंग में पर्याप्त अवधि की वीडियो बनायी जाये जिससे स्पष्टता रहे	घटनास्थल की सिर्फ 02-03 सेकेन्ड की वीडियो रिकार्डिंग न करें	सैमपलिंग के दौरान कई वीडियो ऐसे दिखे हैं जिनमें मात्र 03 से 04 सेकेन्ड की वीडियो है, जिनसे पूर्ण घटनास्थल अथवा साक्ष्य की स्पष्टता नहीं होती है।
16.	गवाह के संक्षिप्त विवरण में गवाह का नाम आदि जरूर भरें जिससे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके	गवाह का विवरण न भरना अथवा अपूर्ण विवरण न भरें	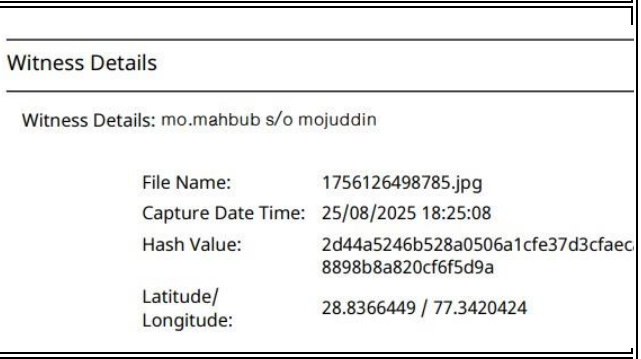
17.	विवेचक की सेल्फी, गवाह की फोटो आदि को यथासम्भव पोर्टेट मोड में लिया जाये	गलत Orientation में फोटो न ली जाये	